

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

(151)

आदेश सं0-07/स्था0(नियु.)-14/2013

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार, परिवहन विभाग के अधीन नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को सैद्धांतिक/व्यावहारिक प्रशिक्षणोपरांत दिनांक 10.02.2014 के प्रभाव से मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा बिहार कारारोपण अधिनियम, 1994 एवं तत्संबंधी नियमावली के सुसंगत प्रावधानों और विभागीय आदेशों का अनुसरण करते हुए प्रतिनियुक्ति क्षेत्रान्तर्गत प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्त पदाधिकारीगण नियमानुसार वाहनों की जांच एवं शमन तथा सौंपे गये कार्य करेंगे तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। उल्लिखित पदाधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना भी सुनिश्चित करेंगे। नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन प्रशिक्षु के रूप में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. उपर्युक्त नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (सूची के अनुसार) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
4. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार
5. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक

ज्ञापांक

- प्रतिलिपि:-
1. विशेष सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा।
 2. अपर राज्य परिवहन आयुक्त/विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

765

पटना, दिनांक 07/02/2014
प्रतिलिपि:- माननीय परिवहन मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।